

दिनांक

विवरण

अभियुक्ति

03-07-2020

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार ~~अया खडिया~~ को खास नोटिस ~~वठ खौडी खडिया, ग्राम - कुन्दूरमुडा~~ निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार के ~~द्वारा~~ सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम ~~खौडी करकेटा~~ द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम ~~कुन्दूरमुडा, खाता सं. 224 फॉर् सं. - रकबा 0.60 ए. भूमि~~ का वर्ष ~~2007-08~~ का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान ~~खौडी करकेटा~~ ने लिखित रूप में आवेदन दिया है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त ~~अन्य कोई कागजात~~ ~~नहीं~~ है। राजस्व उप निरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार ~~खौडी करकेटा~~ है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ~~अया खडिया वठ खौडी खडिया, ग्राम - कुन्दूरमुडा~~ के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध ज्ञान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
कुन्दूरमुडा	64	224	—	0.60 ए.

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के आधार पर उपरोक्त जमाबन्दी को निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिमडेगा को भेजें।

लेखापित

*Cema*  
23/7/2020  
अंचल अधिकारी,  
बोलबा।

*Cema*  
23/7/2020  
अंचल अधिकारी,  
बोलबा।